बिहार कर्मचारी चयन आयोग

पो0–वेटनरी कॉलेज, पटना–14

आवश्यक सूचना

ज्ञापांक:– 2091/आ0 **पटना, दिनांक:–** 05-11-2020

विज्ञापन सं0–20010116, पद–आशुलिपिक की दिनांक–24.11.2019 को सम्पन्न लिखित परीक्षा के उपरान्त व्यावहारिक जाँच परीक्षा हेतु योग्य पाये गये 1605 अभ्यर्थियों की व्यावहारिक जाँच परीक्षा दिनांक–11.11.2020 से 13.11.2020 तक निर्धारित है। व्यावहारिक जाँच परीक्षा हेतु योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाईट पर प्रदर्शित है। उक्त परीक्षा का आयोजन **SUCCESS POINT, J.M.D TOWER ,NEAR FORD HOSPITAL, KHEMANI CHAK, BYPASS, PATNA-800027** में किया जाएगा।

व्यावहारिक जाँच परीक्षा निम्न प्रकार से ली जायेगी:–

क्र0सं0	विषय	परीक्षण	अवधि
01	हिन्दी श्रुतिलेखन	(क) श्रुतिलेखन 80 शब्द प्रति मिनट कुल 320 शब्द	4 मिनट {1 मिनट अतिरिक्त समय प्रारंभ में लेखापन जाँच (डिक्टेशन लेख) हेतु मिलेगा}
		(ख) श्रुतिलेखित लेखांश का टंकण	20 मिनट {2 मिनट अतिरिक्त समय टंकण प्रारंभ करने के पूर्व शुद्धि हेतु।}
02	हिन्दी टंकण	हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट, कुल 300 शब्द	10 मिनट

नोट:–

01 टंकण की परीक्षा मात्र कम्प्यूटर पर ली जायेगी, जो कि आयोग के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।

02 हिन्दी टंकण के लिए **Kruti Dev 010 Font** का प्रयोग किया जायेगा।

03 श्रुतिलेखन के टंकण की शुद्धि टंकण हेतु निर्धारित समय के अन्तर्गत करनी होगी।

04 श्रुतिलेख के टंकण में 10 प्रतिशत से अधिक तथा कम्प्यूटर पर टंकण में 1.5 (डेढ़) प्रतिशत से अधिक त्रुटि पाये जाने पर अभ्यर्थी अयोग्य करार दिये जायेंगे। त्रुटि हेतु परिगणित कतिपय सामान्य त्रुटियों की सूचना निम्नानुसार है:–

- गलत वर्ण, शब्द या अंक लिखना।
- वर्णों, शब्दों या अंकों का छूटना।
- वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना।
- विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना।
- परिच्छेद व शब्द अंतराल में त्रुटि करना।
- हिन्दी में मात्रा का गलत प्रयोग करना।

05 श्रुतिलेखन में केवल अनुच्छेद परिवर्तन और पूर्णविराम ही लिखवाये जायेंगे। अर्द्धविराम (कॉमा–,) या अन्य विराम को नहीं बोला जायेगा, इन्हें लिप्यांतरण में अभ्यर्थी को विवेक से लगाना होगा।

06 डिक्टेशन में पूर्णविराम को फुलस्टॉप तथा अनुच्छेद परिवर्तन (पैराग्राफ चेन्ज/नेक्स्ट पैराग्राफ) को पैरा बोला जायेगा।

07 डिक्टेशन को आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई नोट बुक में संकेत लिपि (Short hand) में लिखना होगा। संकेत लिपि के अतिरिक्त अन्य भाषा में लिखे गये डिक्टेशन को नहीं जाँचा जायेगा। परीक्षा के उपरान्त नोट बुक को वापस वीक्षक को जमा कराना होगा। नोट बुक में अभ्यर्थी का नाम, रौल नं0 एवं अन्य वांछित प्रविष्टियाँ भरनी होगी तथा हिन्दी एवं अँग्रजी में हस्ताक्षर अंकित करना होगा।

08 अभ्यर्थी श्रुतिलेखन के समय ब्लू/ब्लैक बॉल प्वाईन्ट पेन का ही प्रयोग करेंगे। श्रुतिलेखन हेतु आयोग द्वारा नोट बुक (Pad) उपलब्ध कराया जायेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि श्रुतिलेखन एवं टंकण में अभ्यर्थियों को कोई अंक नहीं दिया जायेगा बल्कि व्यावहारिक परीक्षा का आयोजन कंडिका–4 में निहित निर्देश के अनुसार अभ्यर्थियों की योग्यता/अयोग्यता के निर्धारण के लिए किया जा रहा है। उक्त के आलोक में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

अभ्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि अद्यतन जानकारी के लिए आयोग के वेबसाईट http://www.bssc.bih.nic.in का सतत् अवलोकन करते रहें।

5/11/20

सचिव

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना।